न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 77 / 2018

आजम पुत्र दीनू जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाड़ी

प्रार्थी

वनाम

1. जमील
2. उन्नस पिसरान छुट्टु जाति मेव निवासी ग्राम सोमका तहसील पहाडी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री मौहम्मद खाँ वकील प्रार्थी
2. श्री सतीश शर्मा वकील अप्रार्थी संख्या 2

दिनांक :–27 / 07 / 2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 88 / 0.35, 93 / 1 / 0.12, 736 / 0.12, 737 / 0.25, बांके ग्राम सोमका तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी को अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से 1 / 2 को करीब 12–13 साल पूर्व प्रार्थी को काश्त पर दे दिया था। तभी से प्रार्थी आराजी को निरन्तर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी को देरीना कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए प्रार्थी आराजी के 1 / 2 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। जो इन्द्राज अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है। उसे प्रार्थी कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी आराजी पर वहैसियत खातेदार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर प्रार्थी का ही कब्जा व काश्त है। इस समय प्रार्थी ने आराजी को जोत रखा है एवं कुछ हिस्से में ज्वार बाजरे की फसल बो रखी है। अप्रार्थीगण का आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में आज भी अप्रार्थीगण का नाम चला आ रहा है जो खिलाफ कानून व मौका दिनांक 10.07.2018 को अप्रार्थीगण ने ग्राम सोमका में प्रार्थी को धमकी दी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner

है कि विवादित आराजी हमारे नाम चली आ रही है । इसलिए उसे हम दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करके रहेगे। यदि हमें रोका तो जान से खत्म कर देगे अगर अप्रार्थीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को सख्त हक तलफी होगी और नुकसान अजीम होगा । विधि वजह प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण को हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाखलत नहीं करे एवं आराजी को दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल न करे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 व 3 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्ध दिनांक 16/01/2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । अप्रार्थी संख्या 2 जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया एवं जबाब प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश नहीं किया है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 2 का जबाब दिनांक 08/03/2021 को बन्द किया गया।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा व काश्त है। ऐसी स्थिति में रिकॉर्डेड खातेदार को पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी ने कब्जे के सम्बन्ध में भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण में निहित है।
2. **सुविधा का सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अप्रार्थीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा व काश्त है। अगर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो असुविधा भी प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थीगण को अधिक होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण में निहित है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण में निहित है । अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण में निहित है। अतः प्रार्थना प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27/07/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with CamScanner